न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष स–५जनपद कन्नौज।

एफ०आर० संख्या २५०/११/२०१९

सी०एन०आर नम्बर–यू पी के जे०१००४८३७२०१९

सन्तराम बनाम जसकरन

मुकदमा अपराध सख्या–८४/२०१९

धारा –१३८ विद्युत अधिनियम

थाना –इन्दरगढ जनपद कन्नौज।

दिनांक–१४.०९.२०१९

प्रस्तुत अन्तिम आख्या आज राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तुत हुई । मुकदमा अपराध संख्या ८४/१९ धारा –१३८ विद्युत अधिनियम थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट में वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी । वादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट सख्या ९ए प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार एफ०आई०आर में नामित अभियुक्त द्वारा देय विद्युत बिल एवं शमन शुल्क अदा किए जाने का उल्लेख किया है तथा अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकृत किये जाने पर कोई आपत्ति नही की है। वादी की उक्त रिपोर्ट की पुष्टि इस न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विद्युत अधिनियम) द्वारा की गयी है। तदनुसार अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत कागज सख्या –९ए अन्तिम रिपोर्ट संख्या–२५०/११/२०१९ सन्तराम बनाम जसकरन अन्तर्गत धारा १३८ विद्युत अधिनियम , अपराध सख्या ८४/२०१९ स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
कक्ष सख्या ५ जनपद कन्नौज।